>

Title: Need to include Jaat community of Dhaulpur and Bharatpur district of Rajasthan in the list of Central Backward Class Commission list.

**श्री रतन सिंह (भरतपुर):** महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। भरतपुर और धौलपुर की जाट जाति को केन्द्रीय सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि सम्पूर्ण जाट जाति को (भरतपुर, धौलपुर जिले के जाटों को छोड़कर) केन्द्र में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार के समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 74085 दिनांक 3.11.99 से जाट जाति (भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाटों को छोड़कर) अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में रखा गया था। लेकिन हम मुख्य मंत्री, राजस्थान के आभारी हैं कि उन्होंने सरकार की भूल सुधारते हुए उस आदेश में 10.1.2001 को भरतपुर और धौलपुर के जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर समस्त राजस्थान की जाट जाति को यह लाभ प्रदान कर दिया।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत का राजपत्र भाग-1, 27 अक्टूबर, 1999 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में पृष्ठ संख्या 11 राजस्थान राज्य के क्रमांक 11 पर जाट (भरतपुर, धौलपुर के अतिरिक्त) केन्द्र में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर भरतपुर एवं धौलपुर, दो जिलों के जाटों को छोड़ दिया।

महोदय, राजस्थान वैसे ही बहुत पिछड़ा प्रदेश है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भरतपुर और धौलपुर के जाट अपने साथ हुए अन्याय के विरूद्ध पिछले दस वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है। भरतपुर एवं धौलपुर के जाटों को राजस्थान के 31 जिलों के जाटों के समान केन्द्र के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल कर केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में शामिल करने की कृपा करें, जिससे क्षेत्र का विकास हो। हम आपके बहुत आभारी होंगे।